



मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्दा दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 282/2024

1. विनोद कुमार पुत्र राजाराम जाति सुथार निवासी मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. इन्द्रपाल सुथार पुत्र राजाराम सुथार जाति सुथार निवासी मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राकेश कुमार पुत्र राजाराम सुथार जाति सुथार निवासी मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. राजाराम पुत्र ठाकर राम जाति सुथार निवासी दुलमानी, पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :- 09/07/2025

वादीगण की ओर से श्री धन्नाराम अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री विनोद कुमार बिश्नोई राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-

क. वादीगण (विनोद कुमार-इन्द्रपाल सुथार-राकेश कुमार) को तहसील पीलीबंगा के चक 10 पी.बी.एन.-बी. के खाता संख्या 18 के प.नं. 35/299 (30) की 5.566 हैक्. व प.नं. 36/299 (31) की 2.530 हैक्. इसप्रकार कुल रकबा 8.096 हैक्. नहरी मय गै.मु. खाला रास्ता मे से 1/7 हिस्सा यानि 1.1565 हैक्. मे से 1.1185 हैक्. नहरी मय गै.मु.खाला रास्ता खातेदारी ब.हि.ब.कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व शेष रकबा 0.038 हैक्. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 राजाराम के नाम यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बाराणी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 09/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी कलक्टर
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा हनुमानगढ़